

न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर) नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 59/2017

श्री भागचन्द पुत्र श्री खिल्लिराम, जाति कोली, निवासी,, निवासी मकान नं0 123/42, हिन्दी सोफिया स्कूल के पास, भजनगंज, अजमेर।प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. परियोजना निदेशक, एवं अधीक्षक अभियन्ता (नेशनल हाईवे-वे), सार्वजनिक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे सर्किल, जैकब रोड, जयपुर।अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर दिनांक-17.4.2015

उपस्थित:- 1. श्री लेखू मंघानी - अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी - अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक - 10.07.2019

दावा :- ग्राम गंगवाना स्थित खसरा नं0 2131 रकबा 0.01, 2132 रकबा 0.66, 2133 रकबा 0.32, 2134 रकबा 0.24, 2135 रकबा 0.29, 2136 रकबा 0.39 2137 रकबा 0.40, 2138 रकबा 0.48, 2166 रकबा 0.51, 2167 रकबा 0.45, 2168 रकबा 0.24 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.99 है0 भूमि के आधे भाग के खातेदार परिवादी भागचन्द पुत्र खिल्लिराम है, जो उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.8.1980 के द्वारा क्रय की गई, जिसकी सीमाएँ पूर्व में-फकीरा देशवाली का खेत, पश्चिम में-जयपुर रोड, उत्तर में- भेंवरलाल वल्द लक्ष्मण का खेत वर्तमान में माथुर कृषि फार्म, दक्षिण में- कालु पुत्र लक्ष्मण का खेत जिसका जमाबन्दी में अंकन होकर परिवादी पश्चिम की ओर मुख्य सडक नेशनल हाइवे रोड से चिपटी हुई आधा हिस्से की भूमि पर काबिज है। इस भूमि के लगभग पूरे हिस्से को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त किया जा चुका है। परन्तु जो अवार्ड जारी किया गया उसमें अन्य सह-खातेदारों के नाम भी अंकित कर दिये गये। जबकि प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार अजमेर से इस बाबत मौके की रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह किया गया था, जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई।


प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खण्ड) को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया और नेशनल हाइवे एक्ट 1956 की धारा 3 ए (1) की अधिग्रहण की विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 8.11.2012 को प्रकाशन भी कराया गया। प्रकाशित अधिसूचना के कम में प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई।



Melano
जिला कलक्टर
अजमेर

भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाने पर प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व प्रस्तुत आपत्ति/जवाब के अनुसार कार्यवाही का अनुरोध किया। परन्तु प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 17.4.2015 को जारी अवार्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्तियाँ एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का उल्लेख तो किया लेकिन इन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं देकर अवाप्त की गई भूमि की किस्म बारानी-3 मानकर सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा उक्त भूमि के समस्त खातेदारों के नाम जारी किया गया। कायड विश्राम स्थली सडक के अधिग्रहण के समय ग्राम गगवाना के खसरा नं० 1963/2 की प्लॉट संख्या 27 की 1890 वर्गफुट, प्लॉट संख्या 28 की 1502 वर्गफुट, प्लॉट संख्या 29 व 30 की 2750 वर्गफुट एवं प्लॉट संख्या 31 की 1105 वर्गफुट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गगवाना से कायड विश्राम स्थली तक सम्पर्क सडक के लिए अवाप्त की गई थी। इन भूखण्ड धारियों को मुआवजा आवासीय दर से मय 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि के भुगतान किया गया। तथा भूमि अनिवार्य रूप से अवाप्त किये जाने के कारण निर्धारित मुआवजे की 30 प्रतिशत राशि सोलेशियम मनी एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि मुआवजा के रूप में दी गई। इसी अनुरूप प्रार्थी को भी मुआवजा दिया जावे। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (2) के प्रावधानों के तहत अवाप्त की गई भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम होने पर निर्धारित मुआवजे की 10 प्रतिशत राशि मालिक को अदा करने का प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने इन प्रावधानों का अक्षरशः पालना नहीं कर नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी(2) का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना नीति 2007 की धारा 7.19 के तहत प्रतिकर और अन्य लाभों के अलावा अनुग्रह राशि जो पचास हजार से कम नहीं हों, दिये जाने की व्यवस्था है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने किसी भी भूखण्ड धारक के स्वामी को अनुग्रह राशि नहीं दी। प्राधिकृत अधिकारी ने अवार्ड दिनांक 17.4.2015 में मुआवजा "मार्केट वैल्यू" से तय किये जाने का निष्कर्ष लिया किन्तु "मार्केट वैल्यू" की परिभाषा गलत तरीके से ली है। विभिन्न उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा मार्केट वैल्यू को परिभाषित करते हुए व्यवस्था दी है कि किसी सम्पत्ति की बाजार दर वह है, जो सम्पत्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में क्रेता, विक्रेता को अदा करता है। डीएलसी दर से सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू तय करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (7) में स्पष्ट प्रावधान है :- The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section 1 or sub section 5 as the case may be, shall take into consideration :-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under Section 3-A.
- (b) the damage, if any sustained by the person intrested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land.


जिला कलक्टर
अजमेर



(c) the damage, if any sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner or his earnings.

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

के तहत भूमि का बाजार मूल्य इटेन्टेड लैण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास के एरिया या विनसिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। प्रार्थी की जो भूमि अवाप्त की गई है वह जयपुर रोड सिक्स लेन पर स्थित है। इसके पास अंसल एवं एआरजी ग्रुप की हाउसिंग कॉलोनी स्थित है, तथा रिको एरिया गेगल व अन्य कई बड़ी होटले स्थित है। सक्षम अधिकारी ने मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना केवल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भूमि की किस्म कृषि अंकित होना मानकर कृषि दर से मुआवजा तय किया है। जबकि भूमि की मौका स्थिति के अनुसार बाजार दर से मुआवजा तय किया जाना चाहिये। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर द्वारा मुकन्ददास राठी बनाम सक्षम अधिकारी के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि बाजार दर भूमि के आस पास की गतिविधियाँ अर्थात् आस पास की भूमि किस परपज में उपयोग आ रही है, उसके अनुसार बाजार मूल्य तय किये जाने की व्यवस्था है। माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर 2010(1) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 426 एस.सी. में प्रकाशित निर्णय का उल्लेख करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि से अवार्ड जारी करने व अवार्ड जारी करने से लेकर वास्तविक भुगतान किये जाने तक ब्याज की राशि अदा करने की भी व्यवस्था की है। इसी प्रकार नागरिक उडयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा किशनगढ (अजमेर) में प्रस्तावित एयरपोर्ट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा देने तथा भूमि के मालिकों का पुर्नवास करने के लिए सम्भागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा बैठक दिनांक 4.6.2013 में निर्णय लिया कि "उक्त ग्राम की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 08 से 400 मीटर की दूरी से प्रारम्भ होती है। इस क्षेत्र के पास औद्योगिक, व्यवसायिक संस्थान व आवासीय कॉलोनियाँ मदनगंज किशनगढ से लगती हुई है। भूमि विकसित होने से भूमि की बाजार कीमतें मौके पर अधिक है परन्तु उक्त ग्राम की भूमियों की खरीद फरोख्त नहीं होने के कारण भूमि की डी.एल.सी. दरों में वृद्धि नहीं हुई है, कमेटी की सहमति अनुसार उक्त ग्राम की भूमि की दरें निर्धारित करने हेतु उदघोषणा की दिनांक प्रचलित डी.एल.सी. दरों में 6 गुणा वृद्धि करते हुए भूमि का मुआवजा वितरण हेतु दरें निर्धारित की गई है।" भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 में डी.एल.सी. दर का 4 गुणा राशि मुआवजे के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा भूमि की अवाप्ति अनिवार्य होने पर सोलेशियम राशि अतिरिक्त दिये जाने का प्रावधान है। रेल्वे एक्ट 2008 में अतिरिक्त राशि 60 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था है। इन अधिनियमों में राष्ट्रीय पुर्नवास तथा स्थापन समिति 2007 के तहत सहायता राशि भी दिये जाने का प्रावधान है। नेशनल हाइवे एक्ट क धारा 3-जी(7) के अनुसार अवाप्त भूमि से यदि कोई इन्कम हो रही हो या उसके बदले में



Atle Sharma
जिला कलक्टर
अजमेर

भूमि ली जाती है, तो उसका भी मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था है। प्रार्थी के पास जो भी भूमि थी, उसका अधिकतर हिस्सा अवाप्त कर लिया गया है। इसलिए प्रार्थी को अपना रहवासीय आवास बनाने के लिए अन्य आवासीय कॉलोनी में भूखण्ड लेना पड़ेगा। जिसकी आवासीय दर, दस हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से है। सक्षम अधिकारी द्वारा इन व्यवस्थाओं पर ध्यान किये बिना विधिक प्रक्रियाओं के विपरीत अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि आवासीय रूपान्तरित है इसलिए प्रार्थी आवासीय दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः परिवाद स्वीकार फरमाते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अवार्ड आदेश दिनांक 17.04.2015 के संबध में मध्यस्था की जाकर उसमें संशोधन करते हुए अवाप्त किये गये भूखण्ड का मुआवजा प्रार्थी के नाम जारी किया जावे तथा मुआवजा मार्केट वैल्यू/आवासीय दर 10,000/-प्रति वर्गगज के हिसाब से एवं उस पर 30 प्रतिशत सोलेशियम मनी व 12 प्रतिशत ब्याज तथा अनुग्रह राशि 2,00,000/- रुपये जोडकर मुआवजा राशि दी जावे। प्रार्थना पत्र कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के उद्धरण उद्धृत किये। 2015 RRT (S.C.) page 437, 2010 RRT (S.C.) page 940, 2010 (1)RRT (S.C.) page 519, 2009 (11) S.S.C. page 171, 2009 (09) S.S.C. page 289, 2008 (02) S.S.C. page 568, 2007 (02) S.S.C. page 461, 2011 (8) S.S.C. page 708,

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी० जरिये अभिभाषक उपस्थित आये भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :-

प्रतिरक्षण :-भूमि अवाप्ति अधिकारी,अजमेर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 17.4.2015 द्वारा ग्राम गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर के खसरा नं० 2014 किस्म बारानी-1 रकबा 7386.367 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 2607995/-रुपये खसरा नं० 2013 किस्म भूमि बारानी -1 रकबा 8266.073 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि 2583875/- खसरा नं० 2012 किस्म भूमि बारानी 1 रकबा 4292.037 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 1341639/- एवं खसरा नं० 1998 किस्म भूमि बारानी 1 रकबा 1751.344 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 547449/-रुपये सहखातेदारों के नाम मुआवजे का निर्धारण किया जाकर भूमि अवाप्ति अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को जारी किया गया। राजस्व रेकार्ड, में धारा 53 राज०काश्त०अधि० के तहत विधिवत बँटवाडा होकर जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र में पृथक-पृथक खातेदारों के नाम से किसी प्रकार की कोई तरमीम का अंकन नहीं होने से किस खातेदार की कितनी भूमि अवाप्ति की सीमा में आ रही है, ज्ञात होना असंभव है। इस प्रकार भूमियाँ विवादित होने से तहसीलदार अजमेर एवं श्री नौरतमल अग्रवाल सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एन.एच.सब डिविजन सिरोही मुख्यालय, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.11.2016 के आधार पर उक्त खसरों का मुआवजा विधिसम्मत निर्णय हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश(व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर को भूमि अर्जन अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार रेफरेन्स प्रकरण दिनांक 9.11.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। अवार्ड दिनांक 17.4.2015 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार तत्समय की प्रभावी डीएलसी दरों को आधार मानकर मुआवजें का निर्धारण किया गया। वर्तमान में भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा अपने पूर्व में जारी अवार्ड



सिद्धांत
जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक 17.4.2015 में संशोधन करते हुए दिनांक 2.5.2018 को संशोधित अवार्ड पारित किया जाकर नियमानुसार अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर को भिजवाया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष, संशोधित अवार्ड दिनांक 2.5.2018 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अब पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दू कायम किया गया।

वाद बिन्दू:- आया प्रार्थी, प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करने हेतु गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर के खसरा नं0 2014 खसरा नं0 2013 खसरा नं0 2012 एवं खसरा नं0 1998 किस्म बारानी 1 की 21695.821 वर्ग मीटर अवाप्त भूमि का मुआवजा नवीनतम प्रचलित अधिनियम एवं वर्तमान प्रचलित बाजार दर से पाने के हकदार है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दुओं को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :- माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

आया प्रार्थी, प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करने हेतु गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर के खसरा नं0 2014 खसरा नं0 2013 खसरा नं0 2012 एवं खसरा नं0 1998 किस्म बारानी 1 की 21695.821 वर्ग मीटर अवाप्त भूमि का मुआवजा नवीनतम प्रचलित अधिनियम एवं वर्तमान प्रचलित बाजार दर से पाने के हकदार है ?

इस बिन्दु बाबत प्रार्थी का कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खण्ड) को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु ग्राम गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर के खसरा नं0 2014 खसरा नं0 2013 खसरा नं0 2012 एवं खसरा नं0 1998 किस्म बारानी 1 की 21695.821 वर्ग मीटर अधिग्रहित भूमि अर्जन हेतु घोषित भूमि में आती है। जिसका रूपान्तरण आवासीय किया जा चुका है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आपत्तियों के बावजूद मुआवजे का निर्धारण आस पास की आवासीय कॉलोनियों की प्रचलित बाजार दर से नहीं किया गया। अवाप्त भूमि के बदले में उतनी ही भूमि का आवासीय भूखण्ड प्रार्थी को आवंटित किया जावे। यदि यह संभव नहीं हो तो अवार्ड दिनांक 17.4.2015 में संशोधन करते हुए अवाप्त किये गये भूमि का मुआवजा प्रार्थी के नाम जारी किया जावे, तथा मुआवजा मार्केट वेल्यु व आवासीय दर, दस हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से एवं उस पर 30 प्रतिशत सोलेशियम मनी व 12 प्रतिशत ब्याज तथा



[Signature]
जिला कलक्टर
अजमेर

अनुग्रह राशि 2,00,000/-रूपये जोड़कर मुआवजा चार गुना दिया जावे। सक्षम अधिकारी द्वारा इन व्यवस्थाओं पर ध्यान किये बिना विधिक प्रक्रियाओं के विपरीत अवार्ड आदेश पारित किया गया है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अवार्ड प्रचलित अधिनियम एवं उक्त भूमियों की वर्तमान प्रचलित बाजार दर से प्रार्थी के नाम मुआवजा निर्धारण किया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। जवाब में अप्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अवार्ड दिनांक 17.4.2015 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार तत्समय की प्रभावी डीएलसी दरों को आधार मानकर मुआवजों का निर्धारण किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी उक्त अवार्ड में ग्राम गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर के खसरा नं० 2014 किस्म बारानी-1 रकबा 7386.367 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 2607995/-रूपये खसरा नं० 2013 किस्म भूमि बारानी -1 रकबा 8266.073 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि 2583875/- खसरा नं० 2012 किस्म भूमि बारानी 1 रकबा 4292.037 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 1341639/- एवं खसरा नं० 1998 किस्म भूमि बारानी 1 रकबा 1751.344 वर्ग मीटर भूमि की मुआवजा राशि 547449/-रूपये सहखातेदारों के नाम मुआवजे का निर्धारण किया जाकर भूमि अवाप्ति अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को जारी किया गया। राजस्व रेकार्ड, में धारा 53 राज०काश्त०अधि० के तहत विधिवत बँटवाडा होकर जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र में पृथक-पृथक खातेदारों के नाम से किसी प्रकार की कोई तरमीम का अंकन नहीं होने से किस खातेदार की कितनी भूमि अवाप्ति की सीमा में आ रही है, ज्ञात होना असंभव है। इस प्रकार भूमियों विवादित होने से तहसीलदार अजमेर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एन.एच.सब डिविजन सिरोही मुख्यालय, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.11.2016 के आधार पर उक्त खसराओं का मुआवजा विधिसम्मत निर्णय हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश(व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर को भूमि अर्जन अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार रेफरेंस प्रकरण दिनांक 9.11.2016 को प्रस्तुत किया गया। अवार्ड दिनांक 17.4.2015 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार तत्समय की प्रभावी डीएलसी दरों को आधार मानकर मुआवजों का निर्धारण किया गया। वर्तमान में भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा अपने पूर्व में जारी अवार्ड दिनांक 17.4.2015 में संशोधन करते हुए दिनांक 2.5.2018 को संशोधित अवार्ड पारित किया जाकर नियमानुसार अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर को भिजवाया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष, संशोधित अवार्ड दिनांक 2.5.2018 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अब पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उपरिथत अधिवक्ता की ओर से व्यक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा पूर्व जारी अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को दिनांक 2.5.2018 को संशोधित कर नियमानुसार अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है। इससे यह निर्विवादित तथ्य स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 2.5.2018 को जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में पुनः कोई संशोधन विधि अनुसार अपेक्षित हो ऐसा



अजमेर
जिला कलक्टर
अजमेर

कोई कथन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया एवं ना ही उक्त संशोधित आदेश दिनांक 2.5.2018 को आक्षेपित किया गया है। ऐसी रिथति में मेरे विनम्र मतानुसार प्रकरण में पुनः अवार्ड के संबंध में कोई आदेश/निर्देश प्रदान किये जाने के आधार प्रकट नहीं होते है। फिर भी प्रार्थी, प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में यदि कोई आपत्ति या सुनवाई संबंधी उच्च/एतराज प्रकरण में प्रस्तुत करना चाहे तो वह सम्बन्धित अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के संशोधित आदेश दिनांक 2.5.2018 के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह संबंधित अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्त कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.07.2019 को स
इजलास सुनाया गया।



Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे अजमेर